

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मातादीन बनाम सरकार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

449
2013

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

5/03/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो।

27/03/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/04/2026 को पेश हो।

08/04/2026


आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | मंक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 73 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 58/1.48 हैक्टेयर वाके मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार मूसा पुत्र हीरा एवं माल्या पुत्र भूरा थे जिनका स्वर्गवास हो गया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 13 उनके कायम मुकामान वारिसान है। मूसा पुत्र हीरा एवं माल्या पुत्र भूरा ने दिनांक 05.06.1980 को उक्त साबिक खसरा नम्बर 73, 84, 85 सम्पूर्ण को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को विक्रय कर दी थी तथा कब्जा मौके पर वाकई तौर पर संभला दिया एवं उसी रोज विक्रय पत्र श्रीमान सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली के समक्ष रजिस्टर्ड करवा दिया था। ऐसा कर उन्होने धारा 42 टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन कर दिया। इस कारण खातेदारी धारा 175 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत हजफ किये जाने योग्य है, क्यो कि विक्रेतागण की जाति चमार है जो एस.सी. वर्ग से है तथा खरीददारान की जाति मीणां है जो एत.टी. वर्ग से है। मूल खातेदार की मृत्यु हो जाने पर खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 13 के नाम आ चुकी है। अतः याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 55/3.00, 56/148 हैक्टेयर वाके मौजा बुचारा तहसील कोटपूतली की खातेदारी हजफ कर राजगामी सम्पत्ति घोषित की जाकर सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 मय अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 93 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 84 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मातादीन बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">449 2013</p>	<p>5 बीघा ग्राम बुचारा जिसके हाल खसरा नम्बर 55/3.00 56/1.48 वाके ग्राम बुचारा के खातेदार काशतकार मुसा पुत्र हीरा व माल्या पुत्र भूरा होना स्वीकार है । उन्होने उक्त आराजी दिनांक 05.06.1980 को अप्रार्थी संख्या लगायत 3 को बेचान कर दी है। उक्त बेचान को 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इसलिए उक्त बेचान के आधार पर 175 आर.टी. एक्ट की कार्यवाही सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।</p> <p>अप्रार्थीगण संख्या 7 मय अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वितीय उपस्थित आये । अप्रार्थीगण संख्या 12 व 13 मय अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाब में निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 73 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, 84 रकबा 5 बीघा. 85 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बुचारा जिसके हाल खसरा नम्बर 55/3.00, 56/1.48 वाके ग्राम बुचारा के खातेदार काशतकार मुसा पुत्र हीरा व नाल्या पुत्र भूरा होना स्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण अपनी आराजी पर काबिज काशत है। तहसीलदार महोदय को उक्त प्रकरण की पूर्व से ही जानकारी थी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे ।</p> <p>तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये उपस्थित पक्षकारान की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 24/09/2013 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अल प्रस्तुत की गयी है, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी ।</p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी का अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बैचान किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान काशतकारी अधिनियम का धारा 42 का उल्लघन होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रश्नगत भूमि को सिवायचक घोषित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नहीं होती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुये उसे यथावत रखा जाना उचित समझा जाता है ।</p>	


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मातादीन बनाम सरकार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम


449
2013

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/09/2013 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर